रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1377] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 06, 2018/चैत्र 16, 1940
No. 1377] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 06, 2018/CHAITRA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

का.आ. 1522(अ).–केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1997(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट मोटर यानों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति नियत करती है :--

सारणी

भारत में सड़कों पर किलोमीटरों में प्रति घंटा अधिकतम गति					
क्रम सं.	मोटर यान का वर्ग	नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेसवे	4 लेन और अधिक के विभाजित वहन मार्ग (मध्य पट्टियों/विभाजक वाली सड़कें)	नगरपालिक सीमाओं के भीतर सड़क	अन्य सड़कें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम1 प्रवर्ग यान)	120	100	70	70
2.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के	100	90	60	60

	लिए किया जाता है (एम2 और एम3 प्रवर्ग यान)				
3.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	80	80	60	60
4.	मोटर साइकिल	80*	80	60	60
5.	चौपहिया साइकिल	--	60	50	50
6.	तिपहिया यान	--	50	50	50
* यदि एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए अनुज्ञात है ।					

2. यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पांच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा ।

[फा. सं. आर.टी.-11028/07/2017-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

S.O. 1522(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O.1997(E) dated the 5th August, 2014, excepts as respect things done or omitted to be done before such supersession, Central Government hereby fixes the maximum speed in respect of the class of motor vehicles as specified in the table below-

TABLE

Maximum speed per hour in kilometres on roads in India					
S. No.	**Class of Motor Vehicles**	**Expressway with Access Control**	**4 lane and above divided carriageway (roads with Median strips/Dividers)**	**Road within Municipal Limits**	**Other Roads**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat (M1 category vehicles)	120	100	70	70
2.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising nine or more seats in addition to the driver's seat (M2 and M3 category Vehicles)	100	90	60	60
3.	More vehicles used for carriage of goods (All N category Vehicles)	80	80	60	60
4.	Motor Cycles	80*	80	60	60
5.	Quadricycle	-	60	50	50
6.	Three wheeled vehicles	-	50	50	50
* If permitted to ply on Expressway.					

2. No cognizance of the violation of the speed limits shall be taken under section 183 of the Motor Vehicles Act, 1988, if the speed detected is within 5 per cent of the maximum speed specified in this notification.

[F. No. RT-11028/07/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.12 18:24:59 +05'30'